पत्र सं0 स्था-1-/स्थानान्तरण पटल/ 2016-17/ 3301/1617061 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना राजपत्रित)

लखनऊ:: दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 2064 दिनांक 22-08-14 तथा 153 दिनांक 18-07-14 जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि स्थानान्तरण / पदोन्नति के पश्चात वर्तमान कार्यालय से अवमुक्त तथा नए कार्यालय में ज्वाइन करने का विवरण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ई0आई0एस0 मोड्यूल में अपने लॉगिन के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा। प्रत्येक स्थानान्तरण / क्षेत्राधिकार आदेश के पृष्ठांकन में भी यह स्पष्ट रुप से उल्लिखित होता है। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि उपरोक्त निर्गत निर्देशों का अनुपालन विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों द्वारा पदोन्नति / स्थानान्तरण तथा अतिरिक्त कार्यभार आदेश के सापेक्ष अभी तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग तथा रिलीविंग नहीं की गयी है, वें मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 1415049/ 153 दिनांक 18-07-2014 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार ई0आई0एस0 माड्यूल में अपने लॉगिन के माध्यम से दिनांक 11-12-2017 तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग तथा रिलीविंग का विवरण अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वें ई0आई0एस0 माड्यूल में उपलब्ध अपनी current posting तथा Additional jurisdiction सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक करें जिससे किसी अधिकारी की सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में अद्यतन सूचना न होने के कारण किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पड़ें।

जिन अधिकारियों द्वारा दिनांक 11-12-2017 तक ऑनलाइन ज्वाइनिंग तथा रिलीविंग का विवरण अद्यावधिक नहीं किया जाएगा उनके vyas central के लॉगिन को ब्लॉक करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाएगा। सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिए जाने का प्रमाण पत्र दिनांक 15-12-17 तक अनिवार्य रुप से मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सभी अधिकारी ज्वाइनिंग / रिलीविंग / क्षेत्राधिकार ग्रहण / अवमुक्ति करने के तीन दिवस के भीतर ई0आई0एस0 में उपरोक्त के सम्बन्ध में अपडेशन करना सुनिश्चित करेंगें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

4/12/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।